

हाथरियों का स्थानांतरण

प्रलिमिस के लिये:

एशियाई हाथी, प्राकृतिक वरिसत, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु सम्मेलन (CMS), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, प्रोजेक्ट एलीफेंट, हाथी रजिस्ट्रेशन।

मेन्स के लिये:

भारत में वन्य पशुओं के पुनर्वास से संबंधित मुद्दे।

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खलिफ केरल सरकार की अपील को खारज कर दिया, जिसमें मुन्नार के "राइस टस्कर" अरकोम्बन (जंगली हाथी) को परम्बकुलम टाइगर रजिस्ट्रेशन में स्थानांतरण करने का निर्देश दिया गया था।

हाथी स्थानांतरण के पक्ष में तर्क:

- केरल उच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पुनर्वास स्थल में प्राकृतिक भोजन एवं जल संसाधनों की उपलब्धता हाथी को मानव बस्तियों में भोजन की तलाश में जाने से रोकेगी।
- न्यायालय ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि हाथी को रेडियो कॉलर लगाया जाएगा तथा वन/वन्यजीव अधिकारियों द्वारा उनकी गतिविधियों की निरिरानी की जाएगी, जो कसी भी संघर्ष की स्थितिके कारण अचानक आने वाले संकट को प्रभावी ढंग से दूर करेगा।

हाथी के स्थानांतरण के विरोध में तर्क:

- भारत का पहला रेडियो-टेलीमेट्री अध्ययन वर्ष 2006 में दक्षिण बंगाल के पश्चिम मदिनापुर की फसल वाली भूमि से दार्जलिङ्ग ज़िले के महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरण एक बड़े नर हाथी पर किया गया था।
 - लगभग तुरंत ही हाथी ने गाँवों एवं सेना क्षेत्रों में घरों पर हमला तथा फसलों को कृष्टपिहुँचाना शुरू कर दिया था।
- वर्ष 2012 में एशियाई हाथरियों के स्थानांतरण समस्या पर एक अध्ययन किया गया था, जिसमें जीव-विज्ञानियों की एक टीम नेश्वरीलंका के विभिन्न राष्ट्रीय उदयानों में 16 बार स्थानांतरण किये गए 12 नर हाथरियों की निरिरानी की थी।
 - अध्ययन में पाया गया कि स्थानांतरण के कारण मानव-हाथी संघर्ष की व्यापक स्थिति और इसमें तीव्रता हुई, जिसके कारण हाथरियों की मृत्यु दर में वृद्धि हुई।
- दसिंबर 2018 में वनियग बैल जसि फसलों की व्यापक कृष्टी करने हेतु जाना जाता है, को कोयंबटूर से मुदुमलाई-बांदीपुर क्षेत्र में स्थानांतरण कर दिया गया था।
 - यह फसलों को कृष्टपिहुँचाने हेतु हाथरियों से सुरक्षित रहने के लिये बनाई गई खाई को भी पार कर जाता था।

मानव-वन्यजीव संघर्ष

जब मानव तथा वन्यजीवों के आमने-आने से संपत्ति, आजीविका तथा जीवन की हानि जैसे परिणाम उत्पन्न होते हैं

मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण

- कृषि संबंधी विस्तार
- शहरीकरण
- अवधारणात्मक विकास
- जलाशय परिवर्तन
- वन्यजीवों की आवादी में वृद्धि तथा इनके क्षेत्र (रेंज) का विस्तार

मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रभाव

- गंभीर चोटें, जीवन की हानि
- खेतों और फसलों को नुकसान
- जानवरों के खिलाफ हिंसा विस्तार

2003-2004 के दौरान WWF झंडिया ने सोनितपुर मॉडल विकास किया जिसके मध्यम से समुदाय के सदस्यों को असम वन विभाग से जोड़ा गया और हाथियों को फसली खेतों तथा मानव आवादी से सुरक्षित रूप से दूर करने का प्रशिक्षण दिया गया।

2020 में, सर्वोच्च न्यायालय ने नीलगिरी हाथी गतिविहार पर मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें जानवरों के लिये मार्ग के अधिकार (Right of passage) और क्षेत्र में रिसोर्सों को बदल करने की पुष्टि की गई थी।

मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन हेतु सलाह (राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति)

- समस्यात्मक जंगली जानवरों से निपटने हेतु ग्राम पंचायतों को अधिकार (WPA 1972)
- मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण फसल क्षति के लिये मुआवजा (पीएम फसल बीमा योजना)
- प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को अपनाने और अवरोधक लगाने के लिये स्थानीय/राज्य विभाग
- पीड़ित/परिवार को घटना के 24 घंटे के भीतर अंतरिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि का भुगतान करना

मानव-वन्यजीव संघर्ष संबंधी आँकड़े

बाय			
	2019	2020	2021
बायों द्वारा मारे गए मनुष्य	50	44	31
बायों की प्राकृतिक मृत्यु	44	20	4
बायों की अप्राकृतिक मृत्यु, शिकार द्वारा नहीं	3	0	2
जाँच के दायरे में बायों की मौत	22	71	07
शिकार के चलते बायों की मृत्यु	17	8	4
जड़ी	10	7	13

हाथी			
	2018-19	2019-20	2020-21
हाथियों द्वारा मारे गए मनुष्य	-	585	461
ट्रैनों द्वारा मारे गए हाथी	19	14	12
विद्युत आधात द्वारा	81	76	65
शिकार द्वारा	6	9	14
विष देकर	9	0	2

वर्ष 2021-22 में हाथियों द्वारा 533 मनुष्य मारे गए

हाथी:

- परचियः**
 - हाथी भारत का प्राकृतिक धरोहर पशु है।
 - हाथियों को "कीस्टोन परजाती" माना जाता है क्योंकि वे वन पारस्थितिकी तंत्र के संतुलन और स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 - वे अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता हेतु जाने जाते हैं, जिनका स्थलीय जानवरों में सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है।
- पारस्थितिकी तंत्र में महत्वः**
 - हाथी बहुत महत्वपूर्ण चरने वाले और ब्राउजर (ऐसा जानवर जो पततियों, ऊँचे उगने वाले पौधों के फल, मुलायम अंकुर झाड़ियों को खाने में माहर होता है) हैं, क्योंकि वे प्रत्येक दिन भ्रमण करते हुए बड़ी मात्रा में वनस्पतियों को खा जाते हैं और साथ ही इन वनस्पतियों के बीजों को चारों ओर फैलाते हैं।
 - वे एशियाई परद्रिश्य की परायः सघन वनस्पतिको आकार देने में भी मदद करते हैं।
- उदाहरण के लिये वनों में सूरज की रोशनी को नए अंकुरों तक पहुँचने में हाथी काफी मदद करते हैं, वे पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं तथा वनों को प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न होने में मदद करते हैं।**
- सतही जल नहीं होने की स्थितिमें हाथी जल के लिये खुदाई में भी मदद करते हैं जिससे अन्य प्राणियों के साथ-साथ स्वयं के लिये भी जल तक पहुँच सुनिश्चित करने में मदद प्राप्त हो सकती है।**
- भारत में हाथियों की स्थितिः**
 - प्रोजेक्ट एलीफेंट के तहत वर्ष 2017 की जनगणना के अनुसार, भारत में जंगली एशियाई हाथियों की संख्या सबसे अधिक है, इनकी अनुमानित संख्या 29,964 है।
 - यह इन परजातियों की वैश्वकि आवादी का लगभग 60% है।
 - करनाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद असम और केरल का स्थान है।
- संरक्षण की स्थितिः**
 - प्रवासी प्रजातियों का अभसिमय (CMS): परशिष्ट।
 - वन्यजीव (संरक्षण) अधनियम, 1972:** अनुसूची।
 - IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध प्रजातियाँ:**
 - एशियाई हाथी- लुपतप्राय
 - अफ्रीकी वन हाथी- गंभीर रूप से संकटग्रस्त
 - अफ्रीकी सवाना हाथी- लुप्तप्राय
- संरक्षण हेतु कथि गए अन्य प्रयासः**
 - भारतः**
 - भारत सरकार ने 1992 में भारत में हाथियों और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के लिये प्रोजेक्ट एलीफेंट की शुरुआत की

थी।

- हाथरियों के संरक्षण के लिये प्रतिविद्ध भारत में हाथी रजिस्ट्रेशन की संख्या 33 है।
- वैश्वकि स्तर पर:
 - **वशिष्ठ हाथी दविस:** हाथरियों की रक्षा और संरक्षण की तत्काल आवश्यकता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिविद्ध 12 अगस्त को वशिष्ठ हाथी दविस मनाया जाता है।
 - एशियाई और अफ्रीकी दोनों हाथरियों की गंभीर स्थितियों को उजागर करने के लिये वर्ष 2012 में इस दविस की स्थापना की गई थी।
- **हाथरियों की अवैध हतया की निगरानी (माइक) कारयकरम:** यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जो हाथरियों की मृत्यु दर के स्तर, प्रवृत्तियों और कारणों को मापता है, जिससे एशिया और अफ्रीका में हाथरियों के संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नियन्त्रण लेने व समर्थन करने के लिये एक सूचना आधार प्रदान करता है।

आगे की राह

■ स्थानांतरण प्रभाव आकलन:

- हाथरियों की प्रत्येक समस्या और उनके संभावित स्थानांतरण स्थल की विशिष्ट परस्थितियों एवं विशेषताओं पर सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक है।
- प्राकृतिक भोजन और जल संसाधनों की उपलब्धता, आवास उपयुक्तता और संभावित जोखियों एवं स्थानांतरण की चुनौतियों का आकलन करने के लिये गहन शोध तथा विश्लेषण किया जाना चाहयि।

■ निगरानी और प्रबंधन:

- निगरानी और प्रबंधन के बाद की निगरानी और कसी भी संभावित संघरण को कम करने के उपायों सहित उचित निगरानी एवं प्रबंधन योजनाएँ भी होनी चाहयि।
- जबकि हाथरियों की स्थानांतरण समस्या को मानव-हाथी संघरण को कम करने की रणनीति के रूप में माना जा सकता है, इसे सावधानी से किया जाना चाहयि और ध्वनि वैज्ञानिक अनुसंधान, समुदायिक जुड़ाव तथा व्यापक प्रबंधन आधारित योजना दोनों की भलाई सुनिश्चित करने, हाथरियों और स्थानीय समुदायों के बीच संभावित जोखियों को कम करने के लिये होनी चाहयि।
- हाथरियों के स्थानांतरण का विकल्प:
 - जंगली हाथरियों को 'कुंकी' (एक प्रशक्षिणी हाथी जो जंगली हाथरियों को पकड़ने के लिये इस्तेमाल किया जाता है) की मदद से पकड़ना और स्थानांतरण करना एक आशाजनक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
 - यह विधि कई लाभ प्रदान कर सकती है, जिसमें प्रशक्षिणी 'कुंकीयों' के साथ परचित होने के कारण पकड़े जाने के दौरान अधिक सुरक्षा, स्थानांतरण हाथरियों पर कम तनाव और स्थानांतरण प्रयासों की सफलता दर में सुधार शामिल है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारतीय हाथरियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

1. हाथरियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है।
2. हाथरियों की अधिकतम ग्रन्थावधि 22 माह तक हो सकती है।
3. सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है।
4. भारत के राज्यों में हाथरियों की सर्वाधिक संख्या केरल में है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 3
- (d) केवल 1, 3 और 4

उत्तर: (a)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

